**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**मौखिक प्रश्न संख्या : 41**
**गुरुवार, 6 फरवरी, 2025 (17 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग

***41. श्री कीर्ति आजाद:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नैनो-उर्वरक जैसे तरल उर्वरकों का ड्रोन के द्वारा छिड़काव करने हेतु प्रत्येक गांव के लिए दस ड्रोन की आवश्यकता के हिसाब से छह लाख गांवों की मांग को पूरा करने हेतु उद्यमियों को तैयार करने के लिए उर्वरक विभाग से कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपाय किए गए हैं और उनके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) उक्त पहल कब तक पूरी होने की उम्मीद है?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)**

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**"उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग" के संबंध में श्री कीर्ति आज़ाद द्वारा पूछे गए दिनांक 06.02.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 41 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (ग) इस मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को तीन वर्ष अर्थात 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना - नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दी है ताकि उन्हें स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता प्रदान की जा सके। प्रमुख उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके वर्ष 2023-24 में एसएचजी की ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए गए हैं। इन 1094 ड्रोन में से 500 ड्रोन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत वितरित किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय की भूमिका केवल अनुकूल नियामक वातावरण के माध्यम से ड्रोन के विनिर्माण और पंजीकरण को सुलभ बनाना है।

******